

नगर निगम शिमला

निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम शिमला द्वारा शिमला शहर में निर्मित पार्किंगो को संचालित करने हेतु मोहरबन्द निविदाएँ दिनांक 25.06.2025 को सांय 2.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदाएँ उसी दिन सांय 3.00 बजे रोटरी क्लब हॉल दी मॉल, शिमला के कार्यालय में, निविदा खोलने हेतु गठित समिति के समक्ष निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार खोली जाएगी :

Sr. No.	Name of Parking	Capacity. of Vehicle)	Type	Period	Security amount (In Rs.)	Reserve Price (per Annum) (In Rs.)
1.	M.C. Parking near Akanksha Bhawan, Kanlog, Shimla.	20	Domestic	2 Years	50,000/-	1,15,000/-
2.	M.C. Parking near PNB Bank SDA Complex Chotta Shimla, Shimla.	8	Domestic	2 Years	20,000/-	50,000/-
3.	M.C. Steel Parking near Power House, Totu, Shimla.	10	Domestic	2 Years	25,000/-	70,000/-
4.	M.C. Car Parking SDA Complex, Kasumptati, Shimla.	21	Domestic	2 Years	50,000/-	1,20,000/-
5.	M.C. Road Side Parking Cecil Hotel, Chaura Maidan, Shimla.	15	Domestic	2 Years	20,000/-	75,000/-
6.	M.C. Parking Cecil Hotel, Chaura Maidan, Shimla.	25	Commercial	2 Years	76,000/-	3,50,000/-
7.	M.C. Road Side Parking Police Line Kaithu, Shimla.	8	Domestic	2 Years	20,000/-	50,000/-
8.	M.C. Road Side Parking Tarahall to Kalibari.	12	Domestic	2 Years	20,000/-	70,000/-
9.	M.C Car Parking Ward No. 24 Near Block No. 18, HBC Sanjauli, Shimla.	5	Domestic	2 Years	15,000/-	30,000/-
10.	M.C. Parking Near Community Centre Dhalli, Shimla.	100	Domestic	2 Years	1,00,000/-	6,00,000/-
11.	M.C. Car Parking Near Gupta Cottage, Comely Bank, Annadale, Shimla.	30	Domestic	2 Years	50,000/-	1,70,000/-
12.	M.C. Car Parking near Phagli Club, Nabha Shimla.	14	Domestic	2 Years	20,000/-	80,000/-
13.	M.C. Parking Housing Board Near Strawberry Hill, Chotta Shimla.	11	Domestic	2 Years	20,000/-	65,000/-
14.	M.C. Parking Near B.ed. College Totu, Shimla.	8	Domestic	2 Years	15,000/-	50,000/-

15.	M.C. Parking Opp. Govt. Sr. Sec. School Khalini, Shimla.	6	Domestic	2 Years	10,000/-	50,000/-
16.	M.C. Parking Tutikandi, Shimla.	11	Domestic	2 Years	20,000/-	65,000/-
17.	M.C. Parking near Hateshwari Temple, Pateog, Shimla.	22	Domestic	2 Years	30,000/-	1,30,000/-
18.	M.C. Parking near Thakur Niwas, Malyana, Shimla.	24	Domestic	2 Years	30,000/-	1,40,000/-
19.	M.C. Parking Near M.I. Room Summerhill, Shimla.	14	Domestic	2 Years	20,000/-	75,000/-
20.	M.C. Parking Dhingra Estate, Shimla.	27	Domestic	2 Years	35,000/-	1,55,500/-
21.	M.C. Parking Near Middle School, Ram Nagar, Shimla.	25	Domestic	2 Years	35,000/-	1,45,000/-
22..	M.C. Parking at B.S.N.L. Colony, Pateog in ward No. 31, Shimla	8	Domestic	2 Years	15,000/-	50,000/-
23.	M.C. Parking Him Gallery Sector-2, New Shimla, Shimla	20	Domestic	2 Years	50,000/-	1,15,000/-
24.	M.C. Parking Fauji Shop, New Shimla, Shimla	40	Domestic	2 Years	70,000/-	2,00,000/-
25.	M.C. Car Parking Addvilla, Annadale Shimla.	30	Domestic	2 Years	50,000/-	1,73,000/-
26.	M.C. Parking Near Jaswal House, Boileauganj, Shimla.	33	Domestic	2 Years	57,000/-	1,90,000/-
27.	HPPWD Road side Yellow Line Parking Below Industry Deptt. (Hill Side) And Bemloe (Valley Side).	25	Domestic	2 Years	40,000/-	1,44,000/-

नियम व शर्तें:-

1. निविदाकार को सूची में सम्पत्तियों के समक्ष दर्शाई धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम शिमला/आयुक्त नगर निगम शिमला के पक्ष में निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा। डिमाण्ड ड्राफ्ट के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की धरोहर राशि की नकदी/ट्रांजैक्शन मान्य नहीं होगी तथा बिना धरोहर राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट के प्राप्त निविदा भी मान्य नहीं होगी।
2. उच्चतम निविदाकार को कुल निविदा राशि का 25% निविदा स्वीकृत होने के एक सप्ताह के भीतर जमा करना होगा तथा बकाया 75% राशि के 10 उतर दिनांकित चैक (Post dated cheques) प्रतिमाह के, कब्जा लेने से पूर्व सम्पदा शाखा में जमा करने होंगे, अन्यथा उच्चतम निविदा को, धरोहर राशि जब्त करते हुए रद्द कर दिया जायेगा। निविदाकार को उच्चतम निविदा राशि पर केन्द्र/राज्य सरकार के निर्देशानुसार 18% जी.एस.टी अतिरिक्त देय होगा। यदि सरकार इसमें किसी प्रकार का संशोधन करती है तो जी.एस.टी का भुगतान यथानुसार करना होगा।
3. पार्किंग के उच्चतम निविदाकार को निगम द्वारा निर्धारित दरों के अनुरूप ही पार्किंग फीस वसूल करनी होगी। ऐसा न करने पर शिकायत प्राप्त होने की स्थिति में उच्चतम निविदाकार द्वारा जमा की गई धरोहर राशि को जब्त कर लिया जायेगा व ठेका रद्द कर दिया जायेगा।

4. उच्चतम निविदाकार यदि आबन्धित सम्पतियों को समय अवधि से पूर्व आबन्धित ठेके को छोड़ता है तो जमा प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी। आबन्धित की जाने वाली सम्पतियों में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर आयुक्त नगर निगम शिमला द्वारा लिया गया निर्णय दोनों पार्टियों को मान्य होगा। विवाद की स्थिति में न्यायालय अधिकार क्षेत्र शिमला होगा।
5. निविदा के दिन यदि अवकाश घोषित हो जाता है तो निविदा अगले कार्य दिवस को निश्चित स्थान व समय पर ही खोली जायेगी।
6. निगम द्वारा जिन सम्पतियों की निविदा आमंत्रित की जा रही है, उन सम्पतियों में उच्चतम निविदाकार निगम का देनदार नहीं होना चाहिए पता लगने पर उस निविदाकार की निविदा को रद्द कर दिया जायेगा।
7. निगम पार्किंग वर्तमान में जिस स्थिति में है उसी सुविधाओं के साथ आबन्धित की जायेगी तथा बिजली पानी के बिलों का भुगतान व लाईसेंस इत्यादि की सम्पूर्ण औपचारिकताएँ उच्चतम निविदाकार को स्वयं अपने स्तर पर प्राप्त करनी होगी।
8. आयुक्त नगर निगम शिमला को निविदा स्थगित/रद्द/संशोधित करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित होगा।
9. सरकार एवं आयुक्त नगर निगम शिमला द्वारा समय-समय पर जारी समस्त दिशा निर्देश सफल निविदाकार को मान्य होंगे।
10. आयुक्त/अतिरिक्त आयुक्त/अधीक्षक नगर निगम शिमला व सम्पदा शाखा में कार्यरत निरीक्षकों को ठेके पर आबन्धित सम्पतियों को किसी भी समय निरीक्षण का अधिकार होगा।
11. सफल निविदाकार को सात दिनों के भीतर नगर निगम शिमला के साथ अनुबन्ध करना होगा। निर्धारित अवधि के भीतर अनुबन्ध नामा दायर न करने अथवा शर्तों का उलंघन करने पर ठेका रद्द समझा जायेगा और प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।
12. ठेकेदार को पार्किंग के संचालन हेतु कर्मचारियों को अपने स्तर पर रखना होगा। रखे गये कर्मचारियों व ठेकेदार के बीच में विवाद होने पर नगर निगम की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।
13. आबन्धित पार्किंगों के उच्चतम निविदाकार को पार्किंग में फीस वसूली हेतु नगर निगम द्वारा तैयार रसीदों/मान्य पॉज मशीनों का ही प्रयोग करना होगा। रसीदें प्राप्त करने हेतु राशि रु0 50/- प्रति रसीद बुक सम्पदा शाखा में जमा करवाने होंगे। अपनी छपवाई हुई रसीदें मान्य नहीं होगी। पॉज मशीन निविदाकार को स्वयं खरीद करनी होगी और उसे नगर निगम शिमला से सत्यापित करवाना होगा, ऐसा न करने पर निरीक्षण के दौरान अपनी छपवाई हुई रसीद बुकें अथवा असत्यापित पॉज मशीन प्रयोग करते पाये जाने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी व ठेका रद्द कर दिया जायेगा।
14. उच्चतम निविदाकार को आबन्धित पार्किंग में निगम द्वारा तय की पार्किंग फीस का 4X4 का रेट बोर्ड मेन गेट पर स्पष्ट दृष्ट्या स्थल लगाना अनिवार्य होगा।
15. निविदाकार को निविदा के साथ अपना पैतृक गांव/शहर का स्थाई पता, पत्राचार पता, आधार कार्ड, पैनकार्ड, जी0एस0टी0 नम्बर व मोबाईल नं0 से सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे।

16. सफल निविदाकार को स्थानीय लोगों की सुविधा के मध्यनजर व्यवसायिक पार्किंग में सर्व प्रथम सुविधा प्रदान करनी होगी तथा पार्किंग में कुल वाहन क्षमता की 30% वाहनों को स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करना होगा और आवासीय पार्किंगों में कुल वाहन क्षमता की 80% व सड़क पार्किंगों में 30% स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करना होगा। स्थानीय व्यक्ति की पहचान के लिए स्थानीय पार्श्व का प्रमाण पत्र/स्वीकृति सहित अपना राशन कार्ड/ आधार कार्ड दस्तावेजों के तौर पर निगम कार्यालय/ठेकेदार को प्रस्तुत करना होगा।

17. निगम द्वारा व्यवसायिक पार्किंग शुल्क निम्न प्रकार से निर्धारित किया गया है।

समय घंटों में	छोटी कारें	बड़ी कारें	दो पहिया वाहन
0-2	रु0 15/- प्रति वाहन	रु0 20/-	रु0 5/-
0-4	रु0 30/- प्रति वाहन	रु0 40/-	रु0 10/-
0-6	रु0 50/- प्रति वाहन	रु0 60/-	रु0 20/-
0-12	रु0 100/- प्रति वाहन	रु0 120/-	रु0 40/-
0-24	रु0 170/- प्रति वाहन	रु0 200/-	रु0 80/-
मासिक	रु0 2,000/-प्रति वाहन	रु0 2,500/-	रु0 7,50/-

18. निगम द्वारा धरेलू पार्किंग शुल्क निम्न प्रकार से निर्धारित किया गया है।

समय घंटों में	छोटी कारें	बड़ी कारें	दो पहिया वाहन
0-2	रु0 10/- प्रति वाहन	रु0 15/-	रु0 5/-
0-4	रु0 15/- प्रति वाहन	रु0 20/-	रु0 5/-
0-6	रु0 20/- प्रति वाहन	रु0 25/-	रु0 10/-
0-12	रु0 25/- प्रति वाहन	रु0 30/-	रु0 15/-
0-24	रु0 30/- प्रति वाहन	रु0 35/-	रु0 20/-
मासिक	रु0 600/-प्रति वाहन	रु0 800/-	रु0 300/-

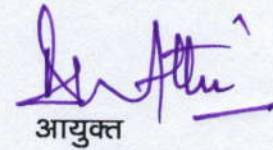
19. निगम द्वारा निर्धारित दरों से यदि निविदाकार द्वारा वाहन शुल्क अधिक वसूल किया जाता है तो प्रथम शिकायत प्राप्त होने पर चेतावनी नोटिस जारी किया जायेगा तथा पुनः शिकायत एवं दोष सिद्ध होने पर रु0 20,000/- जुर्माना वसूल किया जायेगा। यदि बार-बार अधिक वसूली बारे शिकायत प्राप्त होती है तो ठेका रद्द कर दिया जायेगा। यह जुर्माना इकरारनामों की अन्य शर्तों की उल्लंघना करने पर भी वसूल किया जायेगा। उक्त जुर्माना वसूली के उपरान्त भी यदि पुनः शिकायत प्राप्त होने एवं दोष सिद्ध होने पर ठेका रद्द करते हुए निविदाकार को बलैक लिस्ट कर दिया जायेगा।

20. निगम की पार्किंगों आदी की निविदा में भाग लेने के लिए यह शर्त अनिवार्य है कि निविदाकार पूर्व में नगर निगम की सम्पत्ति की बकाया राशि देनदार नहीं होना चाहिए। ऐसा होने पर जमा की गई प्रतिभूति राशि को जब्त करते हुए ठेका रद्द कर दिया जायेगा।

21. निविदाओं में भाग लेने वाले निविदाकारों को निगम द्वारा तय की गई शर्तों पर यदि किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो निविदा आरम्भ करने से पूर्व अपनी आपत्तियों दायर कर

सकता है, निविदा आरम्भ होने के उपरान्त किसी भी प्रकार की आपति पर विचार नहीं किया जायेगा ।

22. निगम की आबन्धित पार्किंग में वाहन की क्षति व चोरी होने पर संचालित ठेकेदार की पूर्ण जिम्मेवारी होगी।
23. जिन पार्किंगों की संचालन अवधि समाप्त नहीं हुई है, उन पार्किंगों का कब्जा आगामी अवधि समाप्ती के पश्चात सौंपा जायेगा।
24. निविदा की जाने वाली सम्पतियों बारे अधिक जानकारी हेतु अधीक्षक सम्पदा नगर निगम शिमला के कार्यालय में दूरभाष नम्बर 0177-2802779 व निगम की वेबसाईट www.shimlamc.hp.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं।



आयुक्त

नगर निगम शिमला।